

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

कमांक एफ2(6358)सूप्रौ/संस्था/14/0067/2018
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जयपुर, दिनांक : 21/05/2018

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायको को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र. सं.	मेरिट नं.	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	290	अप्रतिमा आर. त्रिपाठी	कार्यालय वित्त(नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	RAS/RTS EXAM-2018(RPSC), SUB INSPECTOR EXAM-2016 AND WOMEN SUPERVISOR EXAM-2018
2	411	अभिनव गोस्वामी	कार्यालय संयुक्त श्रम आयुक्त, बीकानेर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018
3	457	ईना गिल्लौत्रा	जिला परियोजना समन्वयक एवं प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, हनुमानगढ़	VICE VICEPRINCIPAL/SUPERINTENDENT ITI EXAM-2018(RPSC)
4	521	आशीष मंगल	कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, भरतपुर जाने, भरतपुर	RAS/RTS EXAM-2018(RPSC), INDUSTRY INSPECTOR EXAM-2018(RSMSSB) AND COPA EXAM-2018(RSMSSB)
5	1127	अभिमन्यु रूथला	कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, श्रीमाधोपुर, सीकर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC), COPA EXAM-2018(RSMSSB) INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018(RSMSSB), ACF AND FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018(RPSC) AND VICE PRINCIPAL/SUPERINTENDENT ITI EXAM-2018(RPSC)
6	1552	अनूप कुमार	मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर	ACF AND FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018, RAS/RTS COMB. EXAM-2018 AND VICE PRINCIPAL/SUPERINTENDENT ITI EXAM-2018(RPSC)
7	1958	अपेक्षा सोनी	कार्यालय प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, बारां	RAS/RTS EXAM-2018(RPSC)
8	2422	अवनी गुप्ता	कार्यालय राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, मुख्यालय, जयपुर	SUPERVISOR(WOMEN EMPOWERMENT) EXAM-2018(RSMSSB), INDUSTRY PROPAGNADA OFFICER/INDUSTRY INSPECTOR EXAM-2018(RSMSSB), RAJASTHAN TAX ASSISTANT EXAM-2018 AND ACF & FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018
9	2079	अर्चना	कार्यालय राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, मुख्यालय, जयपुर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC)], SUPERVISOR(WOMEN EMPOWERMENT) EXAM-2018(RSMSSB), INDUSTRY PROPAGNADA OFFICER/INDUSTRY INSPECTOR EXAM-2018(RSMSSB), RAJASTHAN TAX ASSISTANT EXAM-2018 AND ACF & FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018
10	2973	एकता रानी	कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018
11	3741	चन्द्र प्रकाश	कार्यालय सहायक निदेशक लोक सेवाएं, कलेक्ट्रेट, पाली	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC), VICE PRINCIPAL/SUPERINTENDENT ITI EXAM-2018(RPSC) AND NET EXAM-2018(CBSE)
12	411	अभिनव गोस्वामी	कार्यालय संयुक्त श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, बीकानेर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC)
13	334/2011	अभिषेक वैष्णव	कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC)
14	572	चन्द्रेश कुमार गौतम	कार्यालय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आमेर, जयपुर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC), ACF AND FOREST RANGE OFFICER GR-1 EXAM-2018 (RPSC) AND SUB INSPECTOR EXAM-2016(RPSC)
15	640	अमित कुमार सारस्वत	कार्यालय उप निबन्धक(प्रशासन), राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC)

P

Contd. P.T.O

16	2686	अलकेश बिश्नोई	कार्यालय अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC), ACF AND FOREST RANGE OFFICER GRADE-1 EXAM-2018(RPSC), UGC-NET EXAM-2018(CBSE), CIVIL SERVICES(PRE) EXAM- 2018(UPSC), INDUSTRY INSPECTOR AND INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018(RSMSSB) AND SUPERVISOR(WOMEN EMPOWERMENT) EXAM- 2018(RSMSSB)
17	4214	छिगा राम मीना	कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हिण्डौन सिटी, करौली	INDUSTRY EXTENSION OFFICER, INDUSTRY INSPECTOR EXAM-2018(RSMSSB), SECOND GRADE EXAM- 2018(RPSC)

उक्त सूचना सहायकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(ए.एम. देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....
2. संबंधित कर्मचारी.....
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सू. प्रौ एवं संचार विभाग, जयपुर।
4. संबंधित निजी /रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(7475)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/18/00607/2018 जयपुर, दिनांक 18/05/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क.स.	नाम एवं पद	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1.	श्री विनोद कुमार सावनानी, सूचना सहायक	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर	1. एसएससी, केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित Inspector
2.	श्री विकास चौधरी, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-नागौर, नागौर	1. RSMSSB, जयपुर द्वारा आयोजित Industries Extension Officer, Industry Inspector
3.	श्री युगेश दत्त गौड, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-लूणकरणसर, बीकानेर	1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित - राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2018 2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित - उपाचार्य/अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित - सहायक वन संरक्षक एवं वन रेंज ऑफिसर ग्रेड-1 4. राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ अनुदेशक (कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा))
4.	श्री विनय पाल सिंह, सूचना सहायक	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन अजमेर संभाग, अजमेर	1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित - RAS/RTS 2018
5.	श्री विष्णु कुमावत, सूचना सहायक	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, मुख्यालय जयपुर	1. RPSC अजमेर द्वारा आयोजित Vice Principal/Superintendent ITI 2018, Assistant Conservator Forest (ACF) & Forest Range Officer Grade - I 2018
6.	श्री विजय कुमार शर्मा, सूचना सहायक	कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि०) जि० प० सीकर (राज०)	1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित - राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2018 एवं वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, 2018 विज्ञान
7.	श्री योगराज पचेरवाल, सूचना सहायक	मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद, शासन सचिवालय, जयपुर	1. Rajasthan State and Sub. Services Comb. Comp. Exam-2018 2. Civil Services (Preliminary) Examination, 2018 3. UGC-NET (July) - 2018 4. Industries Extension Officer Exam - 2018 5. Sr. Teacher Gr II Comp. 2018 6. School Lecturer (School Education) - 2018
8.	श्री विश्वराज सिंह कृष्णावत, सूचना सहायक	कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बड़गांव, उदयपुर	1. RPSC अजमेर द्वारा आयोजित ACF and Forest Range Officer - 2018 2. RPSC अजमेर द्वारा आयोजित Vice Principal/Superintendent ITI - 2018 3. RSMSSB जयपुर द्वारा आयोजित Junior Instructor Exam - 2018

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

P

P.T.O

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

—sd—

(आशुतोष.एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

P

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
अनापत्ति प्रमाण पत्र

क्रमांक:- एफ.2(4328)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/00609/2018

जयपुर, दिनांक 16/05/2018

श्री देवेन्द्र जोशी, सूचना सहायक ने प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। श्री देवेन्द्र जोशी, सूचना सहायक को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित Vice Principal/Superintendent I.T.I 2018 एवं Rajasthan Civil Services Exams की प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

R

(आशुतोष एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
2. श्री देवेन्द्र जोशी, सूचना सहायक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।

R

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक एफ2(7144)सूप्रौ/संस्था/16/00579/2018

जयपुर, दिनांक : 17/05/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायको को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क्र. स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1.	3379	श्री कैलाश चन्द मौर्य, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सिरोंही	Vice Principal / superintendent I.T.I. or Group instructor/ surveyor/Assistant Apprenticeship Advisor Gr-II, Assistant Forest Conservator/Forest range officer Grade-I
2.	789	श्री कपिल शर्मा, सूचना सहायक	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	RAS Exam 2018, IAS Exam 2018, RSMSSB द्वारा आयोजित Industry department (Industry Extension Officer) Exam 2018, Industry department (Industry inspector)Exam 2018, COPA Exam 2018
3.	1509	श्री जयप्रकाश राणा, सूचना सहायक	कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज., बीकानेर	राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता(स्कूल शिक्षा), राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड से उद्योग प्रसार अधिकारी
4.	3690	श्री कुलदीप वर्मा, सूचना सहायक	कार्यालय मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर	RAS/RTS संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2018, सहायक वन संरक्षक और रेन्जर ग्रेड-प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा-2018
5.	578	श्री जितेन्द्र सिंह राजपुरोहित, सूचना सहायक	राजस्व तहसील मूण्डवा, नागौर	UPSC IAS/IPS 2018, RPSC RAS Combined Comp. Exam 2018, RSMSSB Industry Inspector-2018, RSMSSB Industries Extension officer-2018, Tax Assistant-2018
6.	WL-717	श्री जितेन्द्र कुमार गहलोत, सूचना सहायक	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, कलक्ट्रेट, अजमेर	संगणक (Computer) post Exam-2018
7.	2533	श्री जितेन्द्र भाटी, सूचना सहायक	जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर महानगर	कॉलेज व्याख्याता भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2018, स्कूल व्याख्याता भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2018, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा प्रतियोगी परीक्षा 2018, वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018
8.	1785	श्री हिम्मत सिंह नाथावत, सूचना सहायक	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक टोड़ारायसिंह, जिला-टोंक	RPSC द्वारा आयोजित RAS/RTS Comb. Comp. Exam 2018 RSMSSB द्वारा आयोजित Direct Recruitment on the Various Posts of Industry Department-2018 Industries Extension Officer post 2018
9.	3112	सुश्री जसमीत कौर, सूचना सहायक	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, जयपुर	V.P. ITI & Group Instructor (Technical Education Department), 2018, Tax Assistant 2018
10.	1192	श्रीमती जसवंत कंवर राठौड़, सूचना सहायक	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर	UGC NET 2018, Industry Extension Officer 2018, Industry Inspector 2018, Supervisor 2018
11.	1239	श्रीमती कौशल सोनी, सूचना सहायक	कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक एवं प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, हनुमानगढ़	Junior Instructor Exam (Computer Operator and Programming Assistant) 2018, Vice Principal/Superintendent ITI 2018, UGC NET JULY 2018
12.	806	श्रीमती इन्दू रानी शाक्य, सूचना सहायक	कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक एवं प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, हनुमानगढ़	Junior Instructor Exam (Computer Operator and Programming Assistant) 2018, Vice Principal/Superintendent ITI 2018
13.	3363	श्रीमती कौशल्या जांखड़, सूचना सहायक	कार्यालय संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, नागौर	RPSC द्वारा आयोजित RAS/RTS Comb. Comp. Exam 2018

P

P. T. O.

14.	1255	श्री कमलेश कुमार दादरवाल, सूचना सहायक	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति, झोटवाड़ा, जयपुर	RSMSSB द्वारा आयोजित राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा, RPSC द्वारा आयोजित सहायक वन संरक्षक एवं वन रनेज ऑफिसर ग्रेड-1, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं, राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम प्रतियोगी परीक्षा
15.	148	श्रीमती हिमानी गुप्ता, सूचना सहायक	कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	RAS PRE EXAM 2018
16.	3097	श्रीमती कविता लेघा, सूचना सहायक	कार्यालय उप-निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर	महिला पर्यवेक्षक ओर आर.ए.एस. परीक्षा 2018
17.	1706	श्रीमती ज्योति स्वामी, सूचना सहायक	कार्यालय प्रधानाचार्य, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर	VICE PRINCIPAL IN ITI COLLEGE, RAS EXAM, WOMAN SUPERVISOR, GROUP INSTRUCTOR EXAM
18.	3070	सुश्री ख्याति माटा, सूचना सहायक	कार्यालय कृषि विपणन विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर	RAS COMB. COMP. EXAM 2018
19.	910	श्री हरिश चौधरी, सूचना सहायक	जिला औषधि भण्डार गृह, जयपुर प्रथम, जयपुर	RAS EXAM 2018
20.	2070	सुश्री इन्द्रा फुलवानी, सूचना सहायक	राजस्थान सेवा निगम, जयपुर	RAS Comb. Comp. Pre Exam 2018, Vice Principal/Superintendent ITI 2018

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

—Sd—
(आशुतोष.एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष सम्बंधित विभाग।
- ✓ 2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित सूचना सहायक।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :- एफ.2(1465) डी.ओ.आई. टी./संस्था / 13/ML-4053

जयपुर दिनांक 17/05/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्रीमती रोमा भटनागर, सूचना सहायक, कार्यालय वित्त विभाग (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ), जयपुर ने प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। श्रीमती रोमा भटनागर, सूचना सहायक, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित **ACF & Forest Range Officer Grade-I EXAM 2018** की प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्रीमती रोमा भटनागर, सूचना सहायक को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

— sd/ —

(ए.एम देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. अतिरिक्त निदेशक, कार्यालय वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्रीमती रोमा भटनागर, सूचना सहायक, कार्यालय वित्त विभाग (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ), जयपुर।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।

प्रभारी अधिकारी(संस्थापन)